दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 30.12.2022

\+ **<u>ज़मानत आवेदन 3754/2022</u>**

अक्षय ढींगरा ....अपीलार्थी

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ...प्रत्यर्थी

<u>इस मामले में पेश हुए अधिवक्तागण:</u>

आवेदक के लिएः श्री वी. अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी के लिएः सुश्री प्रियंका दलाल, राज्य की अति.लो.अभि., के साथ निरीक्षक दिनेश कुमार, थाना के.एन.के. मार्ग।
श्री राजीव बजाज, शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अंतर्गत दायर किया गया है जिसमें पुलिस थाना के.एन.काटजू मार्ग, रोहिणी में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 380 के तहत दर्ज प्राथमिकी

संख्या 826/2022 दिनांक 24.09.2022 में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की गई है।

2. श्रीमती अशोका कोली की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि घरेलू सामान चोरी हो गए हैं, जब वह अपने घर से दूर थीं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक शिकायतकर्ता से विवाहित है और वैवाहिक कलह के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी|

4. वह प्रस्तुत करता है कि पक्षकार मुकदमेबाजी कर रहे हैं और जिस घर से वस्तुओं की चोरी होने का आरोप है, वह घर आवेदक द्वारा किराए पर लिया गया था।

5. वह प्रस्तुत करता है कि शिकायतकर्ता ने अपने दम पर उस घर को छोड़ दिया था। आवेदक के पास घर की किरायेदारी सौंपने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था और वस्तुओं को हटा दिया गया था।

6. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता तीन दिनों के लिए अपने माता-पिता के घर गई है और जब वह लौटी, तो घर बंद पाया और घरेलू सामान चोरी पाया गया, जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई।

7. वह प्रस्तुत करते है कि पक्षकार मुकदमेबाजी करते आ रहे हैं और शिकायतकर्ता पर दबाव डालने के लिए, आवेदक ने शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में चुपके से फ्लैट को मकान मालिक को सौंप दिया। घर वैवाहिक घर था और शिकायतकर्ता को इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता था।

8. वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान घटना से पहले, थाना अध्यक्ष, थाना के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी, को हीरे की अंगूठी की चोरी और शारीरिक और मानसिक यातना के संबंध में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक और शिकायत दी गई थी। ।

9. वह आगे प्रस्तुत करता है कि घरेलू सामानों में टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, लैपटॉप, नकदी, गहने आदि शामिल हैं। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त वस्तुएं शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं खरीदी गई थीं और इन वस्तुओं का पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमेबाजी से कोई लेना-देना नहीं है, जो स्त्रीधन से संबंधित है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने सहायक दस्तावेजों के साथ एक संक्षिप्त नोट भी सौंपा यह दिखाने के लिए है कि घरेलू सामान शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए थे। वही रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

<u>कारण</u>

11. यह ध्यान देना उचित है कि शिकायतकर्ता द्वारा चोरी की रिपोर्ट पर 25.09.2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस स्तर पर, उसने संदिग्ध का नाम नहीं दिया था और 'ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात आरोपी के विवरण" के लिए कॉलम में "ज्ञात नहीं" का उल्लेख किया गया था।

12. जाँच अधिकारी न्यायालय में मौजूद है। पूछे जाने पर, सूचित किया गया कि मकान मालिक का बयान दर्ज किया गया है जिसने कहा कि आवेदक घर आया था और सभी घरेलू सामान ले गया था। गवाह 'पवन' का बयान भी दर्ज किया गया है जिसने स्वीकार किया है कि उसने सामान को हटाने में शिकायतकर्ता की मदद की थी। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि एक गोदरेज फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर को आवेदक ने उनकी मदद से हटा दिया था।

13. इस स्तर पर, यह स्पष्ट है कि आवेदक ने किराये घर को आत्मसमर्पण कर दिया है और शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना और उसकी सहमति और जानकारी के बिना वस्तुओं को हटा दिया है। भले ही आवेदक शिकायतकर्ता का पति है, कानून पति को भी इस तरह से गहने सहित घरेलू सामान लेने की अनुमति नहीं देता है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है इस बहाने से कि पक्षकार मुकदमेबाजी कर रहे हैं। केवल इसलिए कि स्त्रीधन के संबंध में पत्नी की शिकायत लंबित है, इसका मतलब यह नहीं है कि पति को पत्नी को गुप्त

रूप से वैवाहिक घर से बाहर फेंकने और सामान ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

14. यह बताया गया है कि आवेदक कुछ पुराने कपड़े / पुरानी चप्पलें / सैंडल लाया है, जिसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार करना करने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से उन वस्तुओं के संबंध में बिल प्रदान किए हैं जिन्हें कथित रूप से चोरी किया गया है।

15. यह स्पष्ट है कि जाँच प्रारंभिक चरण में है और आरोपी जाँच में शामिल नहीं हुआ है। सामान अभी बरामद होना हैं।

16. यह तय है कि द.प्र.स. की धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग नियमित तरीके से नहीं किया जाता है। शक्ति का प्रयोग उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब यह महसूस किया जाता है कि आवेदक को गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है। इसी प्रकार, गिरफ्तारी की प्रत्याशा में जमानत का आदेश इसे ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि लगाए गए आरोप तुच्छ हैं या केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

17. यह न्यायालय आवेदक को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने का कोई कारण नहीं पाता है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

18. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से है और इसे मुकदमे के परिणाम को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

न्या. अमित महाजन

30 दिसंबर, 2022
'के.डी.के'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*